भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4044
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्यान्न की मात्रा

4044. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के जनजातीय और वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) जिलों में विगत पांच वर्षों के दौरान अलग से आपूर्ति किए गए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल, चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आकांक्षी जिलों में खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने पायलट योजना (वर्ष 2019-2022) से फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू किया है। इस पहल को चरणबद्ध तरीके (वर्ष 2021-24) से बढ़ाया गया और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज हासिल कर लिया गया है। इस पहल को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है । केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गत 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल का कुल आवंटन **अनुबंध** के अनुसार है । लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। केंद्र सरकार एफसीआई के नामित डिपो तक खाद्यान्न के आवंटन और परिवहन के लिए उतरदायी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न के आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण के परिचालन की जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार की हैं। केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को खाद्यान्न आवंटित करती है। जिलेवार आवंटन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति माह लगभग 46.253 एलएमटी (लगभग 555.04 एलएमटी प्रति वर्ष खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है)। वर्तमान में, 81.35 करोड़ लाभार्थियों की कवरेज सीमा की तुलना में, राज्य सरकारों ने 80.67 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की है। जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ने/हटाने के आधार पर अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो उनकी जांच की जाती है और मौजूदा नीति के अनुसार संशोधित आवंटन आदेश जारी किए जाते हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु "खाद्यान्न की मात्रा" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4044 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल का आवंटन

(हजार टन में)

वर्ष	**खाद्यान्न**	**कुल**
2019-20	**चावल**	2408.155
	गेहूँ	2836.930
	कुल	**5245.085**
2020-21	**चावल**	4416.117
	गेहूँ	3903.160
	कुल	**8319.277**
2021-22	**चावल**	4124.926
	गेहूँ	5026.399
	कुल	**9151.325**
2022-23	**चावल**	5443.778
	गेहूँ	2905.104
	कुल	**8348.883**
2023-24	**चावल**	3278.953
	गेहूँ	1852.259
	कुल	**5131.212**
2024-25	**चावल**	3066.770
	गेहूँ	1891.482
	कुल	**4958.253**

*****